

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या: 51352 / दस-लाइसेंस-40/बी0डब्लूएफ0एल0-2 नियमावली/2018-19

इलाहाबाद : दिनांक : मार्च 23, 2018

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910) की धारा-41 के अधीन **शक्तियों** का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इस निमित्त प्रकाशित सभी पूर्वनियमों को, जहाँ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, का अधिक्रमण करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उक्त अधिनियम सन् 1910 की धारा 18 के खण्ड (घ) के अधीन निर्धारित लाइसेंस शुल्क पर विदेशी मदिरा के बंधित गोदाम के लाइसेंस देने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नालिखित नियमावली बनाते हैं :-

**उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन)
(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1- (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।
(दो) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन 2-

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन)
नियमावली, 2011, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| <p>2-परिभाषायें</p> <p>2. जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियमावली में – (एक) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से हैय (दो) “जिला आबकारी अधिकारी” का तात्पर्य आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो सहायक आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी अथवा राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो और अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (2) के खण्ड (2) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त एवं निहित शक्तियों प्राप्त होय (तीन) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से हैय (चार) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से हैय (पाँच) “विदेशी मदिरा का तात्पर्य” भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय से हैय (छ.) “लाइसेंसधारी” का तात्पर्य अन्य राज्यों की ऐसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी से है, जिसे प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-2ए, बी0डब्लूएफ0एल0-2बी, बी0डब्लूएफ0एल0-2सी व बी0डब्लूएफ0एल0-2डी में</p> | <p>2-परिभाषायें</p> <p>2. जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, इस नियमावली में – (एक) “अधिनियम” का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से हैय (दो) “जिला आबकारी अधिकारी” का तात्पर्य आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो सहायक आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी अथवा राजस्व विभाग के उप जिलाधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी न हो और अधिनियम की धारा-10 की उप धारा (2) के खण्ड (2) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त एवं निहित शक्तियों प्राप्त होय (तीन) “आबकारी वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि से हैय (चार) “प्रपत्र” का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से हैय (पाँच) “विदेशी मदिरा का तात्पर्य” भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता (एल ए बी) के मादक पेय से हैय (छ.) “लाइसेंसधारी” का तात्पर्य अन्य राज्यों की ऐसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी से है, जिसे प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-2ए, बी0डब्लूएफ0एल0-2बी,</p> |

| | |
|--|---|
| <p>विदेशी मंदिरा के बंधित गोदाम चलाने की स्वीकृति दी गई होय</p> <p>(सात) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से हैय</p> | <p>बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी व बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी मे विदेशी मंदिरा के बंधित गोदाम चलाने की स्वीकृति दी गई होय</p> |
| <p>(आठ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24क के अधीन थोक विदेशी मंदिरा के अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये प्रतिफल से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाये, राजकीय कोषागार में नकद जमा की जायेगी।</p> | <p>"लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24क के अधीन थोक विदेशी मंदिरा के अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये प्रतिफल से है, जो लाइसेंसधारी द्वारा, उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसा कि समय-समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित किया जाये, राजकीय कोषागार में ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।</p> |
| <p>(नौ) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो आबकारी निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न होय</p> | <p>"प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा नामित आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी से है, जो आबकारी निरीक्षक से नीचे की श्रेणी का न होय</p> |
| <p>(दस) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि से है, जो ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में नकद जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के पूर्ण दावों और देयों के प्रतिफल के अधीन अन्तिम व्यवस्थापन के बाद प्रतिदेय होगा।</p> | <p>"प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि से है, जो ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में राजकीय कोषागार में ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के पूर्ण दावों और देयों के प्रतिफल के अधीन अन्तिम व्यवस्थापन के बाद प्रतिदेय होगा।</p> |

नियम-3 का संशोधन

3-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-3 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा। अर्थात्:-

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|--|--|
| विद्यमान नियम | एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| 3- लाइसेंस की स्वीकृति- | 3- लाइसेंस की स्वीकृति- |
| <p>3(1) आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी शराब के बंधित गोदाम के लिये विदेशी शराब के थोक विक्रय का लाइसेंस, निर्धारित संलग्न प्रारूप पर (बी0डब्लूएफ0एल0-2ए, बी0डब्लूएफ0एल0-2बी, बी0डब्लूएफ0एल0-2सी और बी0डब्लूएफ0एल0-2डी) स्वीकृत किया जायेगा। लाइसेंस, प्रतिभूति धनराशि, लाइसेंस शुल्क पर भुगतान और सामान्य बंध-पत्र प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-3 में आबकारी आयुक्त के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा।</p> <p>(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी शराब के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों/यवासवनियों/ द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा।</p> <p>(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-1 में किया जायेगा।</p> <p>(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनमति से निर्धारित की जायेगी, जो लाइसेंसधारी द्वारा या</p> | <p>3(1) आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी जो संयुक्त आबकारी आयुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा विदेशी शराब के बंधित गोदाम के लिये विदेशी शराब के थोक विक्रय का लाइसेंस, निर्धारित संलग्न प्रारूप पर (बी0डब्लूएफ0एल0-2ए, बी0डब्लूएफ0एल0-2बी, बी0डब्लूएफ0एल0-2सी और बी0डब्लूएफ0एल0-2डी) स्वीकृत किया जायेगा। लाइसेंस, प्रतिभूति धनराशि, लाइसेंस शुल्क पर भुगतान और सामान्य बंध-पत्र प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-3 में आबकारी आयुक्त के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा।</p> <p>(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के थोक विक्रय के लिये विदेशी शराब के बंधित गोदाम का लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त अन्य राज्यों की आसवनियों/यवासवनियों/ द्राक्षासवनियों को दिया जायेगा।</p> <p>(3) लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र बी0डब्लूएफ0एल0-1 में किया जायेगा।</p> <p>(4) प्रतिभूति धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार की पूर्व अनमति से निर्धारित की जायेगी, जो लाइसेंसधारी द्वारा या</p> |

| | |
|--|--|
| <p>तो व्याज रहित नकद भुगतान सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को देय हो, जमा की जायेगी।</p> <p>(5) लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा नकद में सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को देय हो, जमा की जायेगी।</p> <p>(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग की होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।</p> <p>(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित करने अथवा उप-पट्टे पर दिये जाने की अनुमति नहीं होगी।</p> | <p>तो व्याज रहित भुगतान सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को देय हो, ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।</p> <p>(5) लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से सरकारी कोषागार में या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो आबकारी आयुक्त को देय हो, जमा की जायेगी।</p> <p>(6) लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग की होगी, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।</p> <p>(7) लाइसेंसधारी को लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित करने अथवा उप-पट्टे पर दिये जाने की अनुमति नहीं होगी।</p> |
|--|--|

नियम-6 का संशोधन

4-

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-3 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| <p>6. बंधित गोदाम में विदेशी शराब का आयात</p> <p>(1) बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी, या बी0डब्लू0एफ0एल0-2टी के प्रपत्र में लाइसेंस धारक, जिला के कलेक्टर को आयात के लिये निम्न विवरण विर्निदिष्ट करते हुये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा : -</p> <p>(एक) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय के आयात की जाने वाली ब्राण्डवार मात्रा का विवरण;</p> <p>(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक ब्राण्ड का पंजीयन संख्या तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लेबल अनुमोदन का प्रमाण-पत्र;</p> <p>(तीन) आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के नाम जहाँ से विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की श्रेणी और प्रत्येक ब्राण्ड के बल्क लीटरों और बोतलों के विवरण के साथ, आयात किया जाना है;</p> <p>(चार) लाइसेंस धारक द्वारा जमा किये गये आयात परमिट शुल्क का प्रमाण और साथ ही जमाकर्ता की प्रति का मूल चालान;</p> <p>(पाँच) परेषण का मार्ग और उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रवेश बिन्दु का नाम और दिनांक, जिसके द्वारा परेषण बंधित गोदाम तक पहुँचेगा।</p> <p>(2) जिलाधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी यदि अन्यथा कोई कारण विपरीत न हो तो एफ0एल0-22 प्रारूप में चार प्रतियों में आयात परमिट तैयार करेगा। प्रथम प्रति आयात करने वाले लाइसेंस धारक को दे दी जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाली आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के आबकारी अधिकारी को सीधे प्रेषित की जायेगी। तृतीय प्रति राज्य के प्रवेश बिन्दु के सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी और चौथी प्रति परेषण के पहुँचने पर सत्यापन व अभिलेखार्थ रखी जायेगी। परमिट की प्रविष्टि आयात के रजिस्टर में</p> | <p>6. बंधित गोदाम में विदेशी शराब का आयात</p> <p>(1) बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी, बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी, या बी0डब्लू0एफ0एल0-2टी के प्रपत्र में लाइसेंस धारक, कोई व्यक्ति आयातित जिला के कलेक्टर को आयात के लिये निम्न विवरण विर्निदिष्ट करते हुये एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा : -</p> <p>(एक) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन या कम तीव्रता के मादक पेय के आयात की जाने वाली ब्राण्डवार मात्रा का विवरण;</p> <p>(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक ब्राण्ड का पंजीयन संख्या तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लेबल अनुमोदन का प्रमाण-पत्र;</p> <p>(तीन) आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के नाम जहाँ से विदेशी मदिरा, बीयर वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय की श्रेणी और प्रत्येक ब्राण्ड के बल्क लीटरों और बोतलों/कैंस के विवरण के साथ, आयात किया जाना है;</p> <p>(चार) लाइसेंस धारक द्वारा जमा किये गये आयात परमिट शुल्क का प्रमाण और साथ ही जमाकर्ता की प्रति का मूल चालान;</p> <p>(पाँच) परेषण का मार्ग और उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित प्रवेश बिन्दु का नाम और दिनांक, जिसके द्वारा परेषण बंधित गोदाम तक पहुँचेगा।</p> <p>(2) जिलाधिकारी या जिला आबकारी अधिकारी यदि अन्यथा कोई कारण विपरीत न हो तो एफ0एल0-22 प्रारूप में चार प्रतियों में आयात परमिट तैयार करेगा। प्रथम प्रति आयात करने वाले लाइसेंस धारक को दे दी जायेगी, दूसरी प्रति निर्यात करने वाली आसवनी/यवासवनी/द्राक्षासवनी या बंधित गोदाम के आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रेषित की जायेगी। तृतीय प्रति राज्य के प्रवेश बिन्दु के सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी और चौथी प्रति परेषण के पहुँचने पर सत्यापन व</p> |

भी की जायेगी और परमिट की वैधता परमिट में विनिर्दिष्ट तिथि तक मानी जायेगी। अभिलेखार्थ रखी जायेगी। परमिट की प्रविष्टि आयात के रजिस्टर में भी की जायेगी और परमिट की वैधता परमिट में विनिर्दिष्ट तिथि तक मानी जायेगी।

नियम-10 का संशोधन

5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में **विद्यमान** नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-3 में दिया गया **नियम रख** दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|--|---|
| <p>10. मंदिर का संग्रह</p> <p>जब तक आबकारी आयुक्त अन्यथा आदेश न दें समस्त शराब बंधित गोदाम में सील बन्द बोतलों में संग्रहण की जायेगी।</p> | <p>10. मंदिर का संग्रह</p> <p>जब तक आबकारी आयुक्त अन्यथा आदेश न दें समस्त शराब बंधित गोदाम में सील बन्द कॉच की बोतलों/कैन्स/टेट्रापैक में संग्रहण की जायेगी।</p> |

नियम-11 का संशोधन

6- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में **विद्यमान** नियम-11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया **नियम** रख दिया जायेगा। अर्थातः—

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| गोदाम से निकासी | |
| (1) बंधित गोदाम से कोई भी शराब की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर निर्धारित दर पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान न कर दिया जाये तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम मदिरा की बोतलों पर श्रेणीवार व धारितावार न लगाये गये हों। | (1) बंधित गोदाम से कोई भी शराब की निकासी तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर निर्धारित दर पर प्रतिफल शुल्क का भुगतान न कर दिया जाये तथा आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड मदिरा की बोतलों पर श्रेणीवार व धारितावार न लगाये गये हों। |
| (2) परिवहन को शासित करने वाले नियमों के अनुसार राज्य में अन्य बंधित गोदाम को विदेशी शराब की बंधपत्र के अन्तर्गत निकासी जी०पी०ए०३० सिस्टम (रोलबल पोजिशनिंग सिस्टम) गे वाहनों से ही की जा सकती है। | (2) परिवहन को शासित करने वाले नियमों के अनुसार राज्य में किसी अन्य बंधित गोदाम को विदेशी शराब की बंधपत्र के अन्तर्गत निकासी जी०पी०ए०३० सिस्टम (रोलबल पोजिशनिंग सिस्टम) गे वाहनों से ही की जा सकती है। |
| (3) बंधित शराब गोदाम से राज्य के एफ०एल०-२ व एफ०एल०-२बी थोक विक्रेताओं को प्रतिफल शुल्क के भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने पर निकासी दी जायेगी। बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी का लेखा प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-६ रजिस्टर में रखा जायेगा। आवेदन पत्र प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-५ में मदिरा की श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रतिफल फीस जमा होने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान के साथ प्रस्तुत करने पर निकासी दी जायेगी। | (3) बंधित शराब गोदाम से राज्य के एफ०एल०-२ व एफ०एल०-२बी थोक विक्रेताओं को प्रतिफल शुल्क के भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से करने पर निकासी दी जायेगी। बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी का लेखा प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-६ रजिस्टर में रखा जायेगा, और आबकारी विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-५ में मदिरा की श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रतिफल फीस जमा होने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान के साथ प्रस्तुत करने पर निकासी दी जायेगी। |
| (4) कोई मदिरा तब तक गोदाम से नहीं हटाई जायेगी जब तक सुरक्षा होलोग्राम के चर्पा होने का परीक्षण प्रभारी अधिकारी द्वारा न कर लिया गया हो और उसके द्वारा प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-७ में पास जारी न कर दिया गया हो। पास तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। पास की एक प्रति विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को सौंपी जायेगी, दूसरी प्रति उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें थोक विक्रय की दुकान | (4) कोई मदिरा तब तक गोदाम से नहीं हटाई जायेगी जब तक शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड के चर्पा होने का परीक्षण प्रभारी अधिकारी द्वारा न कर लिया गया हो और उसके द्वारा प्रपत्र बी०डब्ल०एफ०एल०-७ में पास जारी न कर दिया गया हो। पास तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। पास की एक प्रति विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को सौंपी जायेगी, दूसरी प्रति उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें थोक विक्रय की दुकान |

| | |
|---|---|
| <p>उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसमें थोक विक्रय की दुकान स्थित है और तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखी जायेगी।</p> | <p>स्थित है और तीसरी प्रति अभिलेखार्थ रखी जायेगी।</p> |
|---|---|

नियम-16 का संशोधन

7— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| <p>निलम्बन, निरस्तीकरण व दण्ड</p> <p>16.(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है :—</p> <p>(क) यदि अनुज्ञापित परिसर से शराब की कोई ऐसी बोतल या पात्र, विक्रय करते हुये पाया जाय, जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम नहीं लगा हो।</p> <p>(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।</p> <p>(ग) यदि लाइसेंसधारी थोक विक्रेता से आबकारी आयुक्त द्वारा बांड रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित की गयी एक्स बांड मूल्य (यदि कोई हो, प्रतिफल शुल्क / अन्य करों को छोड़कर) से अधिक मूल्य प्रभारित करता है।</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई अनधिकृत होलोग्राम, स्प्रिट, रंग, सुगन्ध आदि पाया जाता है।</p> <p>(ङ.) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई है।</p> <p>(च) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाय।</p> <p>(छ) यदि लाइसेंसधारी मदिरा की आपूर्ति हेतु उसके मूल्य के साथ कर सहित, यदि कोई हो, मांग पत्र के प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर आपूर्ति नहीं कर पाता।</p> <p>(2) यदि उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अनियमिततायें पायी गईं तो लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस तत्काल निलम्बित करेगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी, समुचित आदेश जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।</p> <p>(3) उपनियम-2 की प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी से, उसके या उसके विक्रय सहायक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों या अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई आबकारी राजस्व की क्षति की वसूली करेगा।</p> | <p>निलम्बन, निरस्तीकरण व दण्ड</p> <p>16.(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त कर सकता है और प्रतिभूति धनराशि को समपहृत कर सकता है और जुर्माना अधिरोपित कर सकता है :—</p> <p>(क) यदि अनुज्ञापित परिसर से शराब की कोई ऐसी बोतल या पात्र, विक्रय करते हुये पाया जाय, जिस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड न लगा हो।</p> <p>(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि पायी जाती है जिसके लिये लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।</p> <p>(ग) यदि लाइसेंसधारी थोक विक्रेता से आबकारी आयुक्त के समक्ष ब्रांड रजिस्ट्रेशन के समय निर्धारित की गयी एक्स बांड मूल्य, यदि कोई हो, प्रतिफल शुल्क और अन्य करों और शुल्कों को छोड़कर से अधिक मूल्य प्रभारित करता है।</p> <p>(घ) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई अनधिकृत सुरक्षा कोड यन्त्र, स्प्रिट, रंग, सुगन्ध आदि पाया जाता है।</p> <p>(ङ.) यदि लाइसेंसधारी द्वारा अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अथवा कपटपूर्ण प्रविष्टियों की गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई है।</p> <p>(च) यदि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध लाइसेंसधारी के कब्जे में कोई मदिरा या मादक औषधि पायी जाय।</p> <p>(छ) यदि लाइसेंसधारी मदिरा की आपूर्ति हेतु उसके मूल्य के साथ कर सहित, यदि कोई हो, मांग पत्र के प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर आपूर्ति नहीं कर पाता।</p> <p>(ज) यदि अनुज्ञापी अनुज्ञा प्रपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है।</p> <p>(2) यदि उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अनियमिततायें पायी गईं तो लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस तत्काल निलम्बित करेगा और लाइसेंस के निरस्तीकरण और प्रतिभूति धनराशि के समपहरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। लाइसेंसधारी नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् लाइसेंस प्राधिकारी, समुचित आदेश जैसा वह ठीक समझे, पारित करेगा।</p> <p>(3) उपनियम-2 की प्रक्रिया अपनाने के बाद लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी से, उसके या उसके विक्रय सहायक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों या अनियमितताओं के फलस्वरूप हुई आबकारी राजस्व की क्षति की वसूली करेगा।</p> |

नियम-17 का संशोधन

8— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप |
|--|--|
| 17. स्टाक लेना तथा छीजन <p>प्रत्येक महीने के अन्तिम कार्य दिवस को उस दिन का समस्त लेन-देन होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी, बंधित गोदाम में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा का स्टाक लेगा और उसे विहित रजिस्टर बी0डब्लू0एफ0एल0-9 में दर्ज करेगा। गोदाम के लेन-देन के सम्बन्ध में रजिस्टर के संक्षिप्त सार प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-10 में सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त को प्रत्येक अगले महीने के प्रथम दिवस को प्रेषित की जायेगी।</p> | 17-स्टाक लेना तथा छीजन <p>प्रत्येक महीने के अन्तिम कार्य दिवस को उस दिन का समस्त लेन-देन होने के पश्चात् प्रभारी अधिकारी, बंधित गोदाम में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा का स्टाक लेगा और उसे विहित रजिस्टर बी0डब्लू0एफ0एल0-9 में दर्ज करेगा। गोदाम के लेन-देन के सम्बन्ध में रजिस्टर के संक्षिप्त सार प्रपत्र बी0डब्लू0एफ0एल0-10 में सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त को प्रत्येक अगले महीने के प्रथम दिवस को प्रेषित की जायेगी। अनुज्ञापी संबंधित सूचना को एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम) के माध्यम से विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड करेगा।</p> |

नियम-18 का संशोधन

9— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

| स्तम्भ-1 विद्यमान नियम | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप |
|--|---|
| 18. अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का अनुमोदन तथा ब्राण्ड पंजीयन व लेबल अनुमोदन <p>लाइसेंसधारी ब्राण्ड पंजीयन, लेबिल अनुमोदन, अधिकतम् थोक बिक्रय मूल्य व अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य के अनुमोदन हेतु लेबिल, समस्त ब्राण्डों तथा एक्स बाण्ड दर की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। वर्ष के दौरान थोक विक्रय मूल्य और अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश न किया जाय, नहीं किया जायेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य बोतलों के लेबुलों पर मुद्रित करायेगा।</p> <p>उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पटटी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में “फार सेल इन यूपी” मुद्रित कराया जायेगा।</p> | 18.अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का अनुमोदन तथा ब्राण्ड पंजीयन व लेबल अनुमोदन <p>लाइसेंसधारी ब्राण्ड पंजीयन, लेबिल अनुमोदन, अधिकतम् थोक बिक्रय मूल्य व अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य के अनुमोदन हेतु लेबिल, समस्त ब्राण्डों तथा एक्स बाण्ड दर की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। वर्ष के दौरान थोक विक्रय मूल्य और अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश न किया जाय, नहीं किया जायेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य बोतलों के लेबुलों पर मुद्रित करायेगा।</p> <p>उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पटटी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में “फार सेल इन यूपी” बोतलों पर स्वतः अंतःस्थापित मुद्रित कराया जायेगा।</p> |

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए प्रारूप का संशोधन 10— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थातः—

| स्तम्भ-1 विद्यमान प्रारूप | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप |
|--|--|
| विदेशी मदिरा बंधित गोदाम (बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए) | विदेशी मदिरा बंधित गोदाम (बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए) |

विदेशी मंदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का
अनुज्ञापन
अनुज्ञापन संख्या

(नियम-3)

..... ने विदेशी मंदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए अनुज्ञापन शुल्क रु० (शब्दों में) तथा प्रतिभूति धनराशि रु० (शब्दों में) का बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान (नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण) जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4 सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द विदेशी मंदिरा को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन आयात, संचय व बिकी करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, अनुज्ञापी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञापि प्रदान की जाती है:-

परिसर -भवन स्वामी का नाम व पूरा पता.....
स्थान.....ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....
तहसील.....जिला.....
उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम

विदेशी मंदिरा बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का
अनुज्ञापन
अनुज्ञापन संख्या

(नियम-3)

आवेदक का फोटो

गोदाम का फोटो

गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....

1-अनुज्ञापन संख्या.....

2-जिला.....

3-अनुज्ञापनधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या.....

..... ने विदेशी मंदिरा बंधित गोदाम-2ए के लिए अनुज्ञापन शुल्क रु० (शब्दों में) तथा प्रतिभूति धनराशि रु० (शब्दों में) का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4 सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द विदेशी मंदिरा को उत्तर प्रदेश में बन्ध-पत्र के अधीन आयात, संचय व बिकी करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... (जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है) के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च, को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर, अनुज्ञापी, अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और उसका अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञापि प्रदान की जाती है:-

परिसर -भवन स्वामी का नाम व पूरा पता.....
स्थान.....ग्राम/मुहल्ला.....थाना/तहसील.....
जिला.....
उत्तर दक्षिण
पूर्व पश्चिम

| शर्त | शर्त |
|---|--|
| 1. उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ०एल०-२ अनुज्ञापी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के प्रश्चात् ही दी जायेगी। | उक्त बंधित गोदाम से विदेशी मदिरा की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बन्ध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ०एल०-२ अनुज्ञापी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के प्रश्चात् ही दी जायेगी। |
| 2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवल ऐसी तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी। | उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवल ऐसी तीव्रता की ही विदेशी मदिरा की निकासी दी जायेगी। |
| 3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। | बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी विदेशी मदिरा, जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। |
| 4. अनुज्ञापी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्राण्डों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। | अनुज्ञापी थोक बिक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रान्डों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्राण्डों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। |
| 5. गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टाक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। | गोदाम में विदेशी मदिरा के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या, आल्मारियों, बक्से और अन्य उपस्कर, भंडारण स्टाक के लिये जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। |
| 6. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा। | अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति करेगा। |
| 7. बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। सुरक्षा होलोग्राम या होलोग्राफी शृंग स्लीवस के लिए अनुज्ञापी गोदाम परिसर में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा होलोग्राम/होलोग्राफिक शृंक स्लीव के उपयोग के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल अथवा फ्लास्क की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम चस्पा न हो। | बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड के लागू करने के लिये उचित प्रबन्ध करेगा। मदिरा के किसी भी बोतल/टेट्रापैक की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो। |
| 8. अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले प्रेषित माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई०पी० एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। | अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और विदेशी मदिरा के आने वाले प्रेषित माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबन्ध करेगा। गोदाम में आई०पी० एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। |
| 9. अनुज्ञापी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा | अनुज्ञापी बंधित गोदाम में विदेशी मदिरा की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के |

| | |
|---|---|
| <p>जायेगा। लेखा रजिस्टर के सभी पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर खोली जायेगी।</p> | <p>निर्धारित प्रपत्र में मदिरा का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के सभी पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। विदेशी मदिरा की प्राप्ति व निकासी सहित पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर खोली जायेगी। सम्बन्धित विवरण का एम0आई0एस0 (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा।</p> |
| <p>10. अनुज्ञापी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।</p> | <p>10. अनुज्ञापी बंधित गोदाम से मदिरा की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा।</p> |
| <p>11. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।</p> | <p>11. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार ब्रान्डों के रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बाण्ड मूल्य, ब्राण्डों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबल धारितावार के अनुमोदित शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, जो उसके अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा, अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाय।</p> |
| <p>12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छ: सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।</p> | <p>12. उत्तर प्रदेश में आयात की जाने वाली विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छ: सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा।</p> |
| <p>13. अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4, सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> | <p>13. अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4, सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> |
| <p>14. यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> | <p>14. यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये शराब के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन केवल बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> |
| <p>15. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 10.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा।</p> | <p>15. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा।</p> |

| | |
|--|--|
| <p>बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी प्रारूप का ११— संशोधन</p> <p>उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-१ में विद्यमान प्रारूप बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थातः—</p> | |
| <p style="text-align: center;">स्तम्भ-१ विद्यमान प्रारूप</p> <p>बीयर बंधित गोदाम (बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी)</p> <p>बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या</p> <p style="text-align: center;">खनियम—(3),</p> | <p style="text-align: center;">स्तम्भ-२ एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप</p> <p>बीयर बंधित गोदाम (बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी)</p> <p>बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या</p> <p style="text-align: center;">खनियम—(3),</p> |
| | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">आवेदक का फोटो</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">गोदाम का फोटो</div> |
| | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....</div> | |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">स्तम्भ-१ विद्यमान प्रारूप</p> <p>बीयर बंधित गोदाम (बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी)</p> <p>बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या</p> <p style="text-align: center;">खनियम—(3),</p> | <p style="text-align: center;">स्तम्भ-२ एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप</p> <p>बीयर बंधित गोदाम (बी०डब्ल०एफ०एल०-२बी)</p> <p>बीयर बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या</p> <p style="text-align: center;">खनियम—(3),</p> |
| | |

| | |
|--|--|
| | <p>..... ने बीयर बंधित गोदाम-2बी के लिए अनुज्ञापन शुल्क रूपये (शब्दों में) तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये (शब्दों में) का बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है।</p> <p>संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4, सन् 1910) और तदधीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द बीयर को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है), के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है :-</p> <p>परिसर - स्वामी का नाम व पता..... स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील.....जनपद..... उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम</p> <p style="text-align: center;">शर्त</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त बंधित गोदाम से बीयर की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 व एफ0एल0-2बी अनुज्ञापी को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी। उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर ऐसे (5 वीवी से 8 वीवी) निर्धारित तीव्रता की ही बीयर की निकासी दी जायेगी। बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी बीयर जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। अनुज्ञापी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडों की मांगो और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित |
|--|--|

| | | |
|-----|---|--|
| | पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। | |
| 5. | गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या, आलमारियाँ, बाक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। | रखेगा। |
| 6. | अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा। | गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या, आलमारियाँ, बाक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। |
| 7. | बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी गोदाम परिसर में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा होलोग्राम/होलोग्राफिक शृंक स्लीव्स के उपयोग के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोतल अथवा फ्लास्क की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम चस्पा न हो। | अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्देशित बोतल/केन्स की धारिता में बीयर की आपूर्ति करेगा। |
| 8. | अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और बीयर के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। | बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी सुरक्षा कोड हेतु गोदाम परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने के लिये उचित प्रबंध करेगा। बीयर के किसी भी बोतल/केन्स की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो। |
| 9. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही—सही लेखा—जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में बीयर का सही—सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। | अनुज्ञापी बंधित गोदाम में बीयर की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही—सही लेखा—जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में बीयर का सही—सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। बीयर की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम०आई०एस० (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा। |
| 10. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। | अनुज्ञापी बंधित गोदाम से बीयर की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। |
| 11. | अनुज्ञापी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर विक्री की दरें, एक्स ब्रांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान/ई-ऐमेन्ट संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत | गोदाम में बीयर के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी रैको की पर्याप्त संख्या, आलमारियाँ, बाक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। |

| <p>प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।</p> | <p>करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>12. अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> | <p>12. अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>13. यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> | <p>13. यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये बीयर के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>14. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 10.00 बजे प्रातः से लेकर 6.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> | <p>14. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>15. जिलों के एफ०एल०-२ अनुज्ञापियों से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> | <p>15. जिलों के एफ०एल०-२ अनुज्ञापियों से बीयर की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> | <p>16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रान्डों की बोतलों / केन्स के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये बीयर की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>अनुज्ञापन / शुल्क, प्रतिभूति धनराशि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">बैंक का नाम</th> <th style="width: 25%;">डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या</th> <th style="width: 25%;">दिनांक</th> <th style="width: 25%;">धनराशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक दिनांक दिनांक</p> | बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | दिनांक | धनराशि | | | | | | | | | | | | | <p>अनुज्ञापन / शुल्क, प्रतिभूति धनराशि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">बैंक का नाम</th> <th style="width: 33%;">डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान</th> <th style="width: 33%;">दिनांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p> | बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान | दिनांक | | | | | | | | | |
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | दिनांक | धनराशि | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान | दिनांक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी प्रारूप का 12— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप के स्थान पर स्तम्भ-2 में संशोधन दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्—

| स्तम्भ-1 | स्तम्भ-2 |
|--|--|
| विद्यमान प्रारूप | एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप |
| वाइन बंधित गोदाम | वाइन बंधित गोदाम |
| <u>(बी0डब्लूएफ0एल0-2सी)</u> | <u>(बी0डब्लूएफ0एल0-2सी)</u> |
| वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या खनियम-(3), | वाइन बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या खनियम-(3), |
| आवेदक का फोटो | गोदाम का फोटो |
| गोदाम का अक्षांश/देशांतर..... | 1—अनुज्ञापन संख्या..... 2—जिला..... 3—अनुज्ञापनधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या..... |
| ने वाइन बंधित गोदाम-2सी के लिए अनुज्ञापन शुल्क रूपये(शब्दों में) तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये (शब्दों में) का बैंक ड्राप्ट/ट्रेजरी चालान (नीचे उल्लिखित विस्तृत विवरण) जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है। | ने वाइन बंधित गोदाम-2सी के लिए अनुज्ञापन शुल्क रूपये(शब्दों में) तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये (शब्दों में) का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से (नीचे उल्लिखित विस्तृत विवरण) जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निस्पादित किया है। |
| संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतदद्वारा | संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द वाइन को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए |

| | |
|---|---|
| उत्तरदायी होगा, एतदद्वारा अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है :- | परिसर - स्वामी का नाम व पता..... स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील..... जनपद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम |
| परिसर - स्वामी का नाम व पता..... स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील..... .जनपद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम | उत्तरदायी होगा, एतदद्वारा अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है :- परिसर - स्वामी का नाम व पता..... स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील..... उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम |
| शर्त | शर्त |
| 1. उक्त बंधित गोदाम से वाइन की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र, या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 अनुज्ञाप्ति को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी। 2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही वाइन की निकासी दी जायेगी। 3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी वाइन जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। 4. अनुज्ञापी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। 5. गोदाम में वाइन के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैकों की पर्याप्ति संख्या में आलमारियाँ, बक्सें और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। 6. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/प्लास्क की धारिता में वाइन की आपूर्ति करेगा। 7. बोतलों पर लगाये गये लेबुलों पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी गोदाम परिसर में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा होलोग्राम/होलोग्राफिक श्रृंक स्लीव्स के उपयोग के लिये उचित प्रबंध करेगा। वाइन के किसी भी बोतल अथवा फलास्क की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम चस्पा न हो। 8. अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और वाइन के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आईपी० एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अनिश्चय यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। | |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 9. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय माँगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एमोआईएस० (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा। | 9. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम में वाइन की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में वाइन का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। वाइन की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय माँगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एमोआईएस० (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा। |
| 10. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। | 10. | अनुज्ञापी बंधित गोदाम से वाइन की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। |
| 11. | अनुज्ञापी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये। | 11. | अनुज्ञापी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडो के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडो की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जाये। |
| 12. | अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा। | 12. | अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4 सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा। |
| 13. | यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा। | 13. | यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये वाइन के थोक स्टाक की सूचना देगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा। |
| 14. | अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 10.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की | 14. | अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की |

| <p>जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> <p>15. जिलों के एफ०एल०-२ अनुज्ञापियों से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> <p>16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> <p>अनुज्ञापन शुल्क / प्रतिभूति धनराशि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">बैंक का नाम</th> <th style="text-align: center;">डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p> | बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | | | | | <p>बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> <p>जिलों के एफ०एल०-२ अनुज्ञापियों से वाइन की थोक आपूर्ति हेतु मॉग-पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> <p>बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबलों पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबलों पर बिना अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकित किये हुये वाइन की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> <p>अनुज्ञापन शुल्क / प्रतिभूति धनराशि का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">बैंक का नाम</th> <th style="text-align: center;">डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>दिनांक</p> <p style="text-align: right;">आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।</p> | बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

बी०डब्ल००एफ०एल०-२डी प्रारूप का 13— उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में विद्यमान प्रारूप के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रारूप रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

| स्तम्भ-1 विद्यमान प्रारूप | स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रारूप |
|---|---|
| <p>कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम (बी०डब्ल००एफ०एल०-२डी) कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या खनियम-(3),</p> | <p>कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम (बी०डब्ल००एफ०एल०-२डी) कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम स्थापित करने व चलाने का अनुज्ञापन अनुज्ञापन संख्या खनियम-(3),</p> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> आवेदक का फोटो </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> गोदाम का फोटो </div> <p>गोदाम का अक्षांश/देशांतर.....</p> <p>1—अनुज्ञापन संख्या.....</p> | |

| | |
|--|--|
| | 2-जिला..... |
| 3-अनुज्ञापनधारी का नाम, पता एवं आधार संख्या | |
| | ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-2डी के लिए अनुज्ञापन शुल्क रूपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये(शब्दों में)का बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजारी चालान (नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण) जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है। |
| संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञापि प्रदान की जाती है :- | |
| परिसर - स्वामी का नाम व पता..... | |
| स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील..... | |
|जिला..... | |
| सीमा उत्तर..... | |
| दक्षिण..... | |
| पूर्व..... | |
| पश्चिम..... | |
| शर्तें | |
| 1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 अनुज्ञापि को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी। | |
| 2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी। | |
| 3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्थीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। | |
| | ने कम तीव्रता के मादक पेय बंधित गोदाम-2डी के लिए अनुज्ञापन शुल्क रूपये(शब्दों में)..... तथा प्रतिभूति धनराशि रूपये(शब्दों में)का सरकारी कोषागार में अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से (नीचे यथा उल्लिखित विस्तृत विवरण) जमा किया है। उसने एक सामान्य बन्ध-पत्र भी निष्पादित किया है। |
| | संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम 4, सन् 1910) और तद्धीन बनाये गये नियमों/आदेशों के उपबंधों के अधीन बोतल बन्द कम तीव्रता के मादक पेय को उत्तर प्रदेश में बंधपत्र के अधीन आयात, संचय व बिक्री करने के लिये उसे प्राधिकृत करते हुये स्थान.....जिला..... जिसे आगे लाइसेंस युक्त परिसर कहा गया है, के लिये दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 31 मार्च..... को समाप्त होने वाली अवधि (दोनों तिथियों को सम्मिलित कर) के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जिनका अनुज्ञापी या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापी अर्थदण्ड, प्रतिभूति समपहरण और अनुज्ञापन निरस्तीकरण के लिए उत्तरदायी होगा, एतद्वारा अनुज्ञापि प्रदान की जाती है :- |
| परिसर - स्वामी का नाम व पता..... | |
| स्थान ग्राम/मुहल्ला.....थाना.....तहसील..... | |
|जिला..... | |
| सीमा उत्तर..... | |
| दक्षिण..... | |
| पूर्व..... | |
| पश्चिम..... | |
| शर्तें | |
| 1. उक्त बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी राज्य के किसी अन्य बंधित गोदाम को बंध-पत्र या राज्य के किसी थोक विक्रेता एफ0एल0-2 अनुज्ञापि को देय प्रतिफल शुल्क व अन्य प्रभारों के भुगतान करने के पश्चात् ही दी जायेगी। | |
| 2. उक्त बंधित गोदाम से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित तीव्रता की ही कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी दी जायेगी। | |
| 3. बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी, सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की पूर्व स्थीकृति से, आयुक्त के आदेश के रहने पर भी, ऐसी कम तीव्रता के मादक पेय जिसे वह उपभोग के लिए संदिग्ध समझता है और जिसका अविलम्ब नमूना भेजकर परीक्षण कराया जाना आवश्यक है, की निकासी रोकने के लिए सक्षम है। | |

| | |
|---|---|
| 4. अनुज्ञापी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। | 4. अनुज्ञापी थोक विक्रेताओं द्वारा किये गये विशिष्ट ब्रांडों की मांगों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये गोदाम पर ऐसे ब्रांडों के न्यूनतम स्टाक को अनुरक्षित रखेगा। |
| 5. गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैंकों की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। | 5. गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय के समुचित अनुरक्षण का उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का होगा। अनुज्ञापी रैंकों की पर्याप्त संख्या में आलमारियाँ, बक्सों और अन्य उपस्कर भंडारण स्टाक के लिये, जो आवश्यक हो, उपलब्ध करायेगा और उस पर प्रभारी अधिकारी के ताले के साथ अपना भी ताला लगायेगा। |
| 6. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा। | 6. अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्देशित बोतल/फ्लास्क की धारिता में कम तीव्रता के मादक पेय की आपूर्ति करेगा। |
| 7. बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी गोदाम के परिसर में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा होलोग्राम/होलोग्राफिक शृंक स्लीव्स के उपयोग के लिये उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोतल अथवा फ्लास्क की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा होलोग्राम चस्पा न हो। | 7. बोतलों पर लगाये गये लेबलों पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा भराई नियमावली, 1969 में विहित सभी आवश्यक मुद्रित अपेक्षाएं होंगी। अनुज्ञापी गोदाम के परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लागू करने हेतु उचित प्रबंध करेगा। कम तीव्रता के मादक पेय के किसी भी बोतल की बिक्री तब तक नहीं की जायेगी, जब तक उस पर आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा न हो। |
| 8. अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। | 8. अनुज्ञापी को उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत प्रतिनिधि बंधित गोदाम में रखना होगा तथा बंधित गोदाम से निकासी और कम तीव्रता के मादक पेय के आने वाले माल के लिये चढ़ाने व उतारने का प्रबंध करेगा। गोदाम में आई०पी० एड्रेस रखने वाले कैमरा सहित लगाया जायेगा और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। |
| 9. अनुज्ञापी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। | 9. अनुज्ञापी बंधित गोदाम में कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति, निकासी की गई तथा अवशेष स्टाक की मात्रा का सही-सही लेखा-जोखा रखेगा। दैनिक रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र में कम तीव्रता के मादक पेय का सही-सही लेखा रखा जायेगा। लेखा रजिस्टर के पृष्ठों पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के रबर सील के साथ लगाकर पृष्ठ संख्या अंकित की जायेगी। कम तीव्रता के मादक पेय की प्राप्ति व निकासी के पासों के पृष्ठों व पन्नों को समुचित ढंग से रखा जायेगा तथा आबकारी विभाग के प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय मॉगने पर प्रस्तुत किया जायेगा। सम्बन्धित विवरण का एम०आई०एस० (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) विहित पोर्टल पर नियत अन्तराल पर अपलोड किया जायेगा। |
| 10. अनुज्ञापी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। | 10. अनुज्ञापी बंधित गोदाम से कम तीव्रता के मादक पेय की निकासी के लिये तथा बंधित गोदाम के समुचित प्रबन्ध के लिये सभी सामान्य नियमों द्वारा नियमतः उत्तरदायी होगा। |
| 11. अनुज्ञापी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए | 11. अनुज्ञापी, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार ब्रांडों के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम थोक व |

| | |
|---|---|
| <p>रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ अनुमोदित अधिकतम् थोक व अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जायें।</p> | <p>अधिकतम् फुटकर बिक्री की दरें, एक्स बांड मूल्य, ब्रांडों की विस्तृत सूची आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञापी किसी लेबुल को प्रयोग करने से पूर्व प्रतिवर्ष चार प्रतियों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्धारित प्रत्येक लेबुल धारितावार के अनुमोदन शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करके सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उसके अनुमोदन के लिये आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेगा। अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य की दर में कोई परिवर्तन वर्ष के मध्य में तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि विशेष रूप से आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान न की जायें।</p> |
| <p>12. अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4, सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> | <p>अनुज्ञापी संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम-4, सन् 1910) और इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबंधों के अधीन व इस अनुज्ञापन की शर्तों का पालन करेगा।</p> |
| <p>13. यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टाक की सूचना देंगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> | <p>यदि अनुज्ञापन निर्धारित अवधि के पूर्व ही निरस्त किया जाता है या निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् नवीनीकृत नहीं होता है तो अनुज्ञापी बंधित गोदाम के प्रभारी अधिकारी को बचे हुये कम तीव्रता के मादक पेय के थोक स्टाक की सूचना देंगा और आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निदेशों के अधीन बचे हुये स्टाक का निस्तारण करेगा।</p> |
| <p>14. अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 10.00 बजे प्रातः से लेकर 6.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया—कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> | <p>अनुज्ञापित परिसर 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा बन्दी के लिये अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों में 9.00 बजे प्रातः से लेकर 8.00 बजे सायं तक खुला रहेगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी/ जिलाधिकारी सम्बन्धित विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी किया—कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त दिनांक व दिनों में दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।</p> |
| <p>15. जिलों के एफ0एल0-2 अनुज्ञापियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु मॉग—पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> | <p>जिलों के एफ0एल0-2 अनुज्ञापियों से कम तीव्रता के मादक पेय की थोक आपूर्ति हेतु मॉग—पत्र प्राप्त होने पर आपूर्ति प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार की जायेगी। ऐसा न करने पर अनुज्ञापी दण्ड का भागी होगा।</p> |
| <p>16. बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> | <p>बंधित गोदाम से निकासी होने वाले सभी ब्रांडों की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम् फुटकर बिक्री मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। लेबुलों पर बिना अधिकतम् फुटकर बिक्रय मूल्य अंकित किये हुये कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री प्रतिबन्धित है।</p> |

अनुज्ञापन शुल्क/प्रतिभूति धनराशि का विवरण

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान संख्या |
|-------------|-------------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------|--------|---------------------------------|
| बैंक का नाम | डिमांड ड्राफ्ट / ट्रेजरी चालान संख्या | दिनांक | धनराशि | |
| | | | | |
| | | | | |
| दिनांक | | | | दिनांक |
| आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश। | | | | आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश। |

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।